# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या– 396/2016(राजस्व वाद)

दायर दिनांक – 23.8.2016
फैसल दिनांक– 29/4/19

1–नानूलाल पिता कुबेर बलाई अनवान
2– कान्तिलाल पिता कुबेर बलाई
3– श्रीमती कमला पत्नि धुला बलाई निवासी पाडवा पुत्री स्व0कुबेर बलाई निवासी सामलिया
4– श्रीमती धुली पत्नि देवराम बलाई निवासी जेठाना पुत्री स्व0 कुबेर बलाई निवासी सामलिया
5– श्रीमती रेवा पत्नि धुलाजी बलाई निवासी पचलासा बडा पुत्री स्व. कुबेर बलाई सामलिया
6– श्रीमती निर्मला पत्नि अम्बालाल बलाई निवासी टामटिया पुत्री स्व. कुबेर बलाई सामलिया

बनाम ( वादीगण )

1– देवराम मुतबन्ना कचरू बलाई निवासी पाडवा
2– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सागवाडा

वकील वादीगण –श्री चन्द्रशेखर शुक्ला (प्रतिवादीगण)
वकील प्रतिवादी संख्या 1 – –

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ,ईन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा125 सपठीतधारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पेढीनामा के अनुसार वादी संख्या 1 व 2 सगे भाई है व वादी संख्या 3 से 6 उनकी बहने हैं जो सभी पिता कुबेर बलाई होकर मुलत: सामलिया गांव के रहने वाले है । वाद पत्र की कलम संख 2 में वर्णित खाता संख्या 441/380एवं खाता संख्या 69 में कुल खेत 7 एकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादीगण की है । उक्त समस्त आराजीयात पर वादीगण का 1/3 हिस्से पर कब्जा एवं स्वामित्व है एवं शेष 2/3 हिस्से पर रामशंकर मुतबन्ना पेमजी का स्वामित्व है । वादीगण के पिता कुबेर की मृत्यु हो जाने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1697 दिनांक 6.9.2013 के जरिये वादीगण का नाम जोडा गया परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम भी जोड़ दिया गया है जबकि वास्तव में प्रतिवादी नम्बर 1 देवराम को संवत 2019 दिनांक28.4.1963 को श्री कचरू पिता पेमजी बलाई निवासी पाडवा के कोई सन्तान नही होने की वजह से गोद रखा गया था एवं तभी से गोदपत्र की हैसियत से कचरू पिता पेमजी बलाई के यहां रह रहा है व गोदनशीनी पिता की सारी सम्पत्ति पर काबिज होकर उसका स्वामित्व चला आ रहा है ,उसकी वोटर आईडी भी बनीहुई है तथा ग्राम पंचायत पाडवा द्वारा 14.8.2009 को तस्दीक भी की है ।

वादीगण की ओर से वाद पत्र में यह भी बताया है कि वादपत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित खाता संख्या 69/60,68/59,69 की भूमि मोजा सामलिया में स्थित है । उक्त समस्त

Scanned by CamScanner

आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा एवं स्वामित्व है परन्तु राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवादी देवराम का नाम जोड दिया गया है । यह कि वादीगण के पिता कुबेर पुत्र अमरजी बलाई ने दिनांक 15.12.2007 को एक दस्तावेज वसीयतनामा नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर तेहरीर एंव तकमील करते हुए अपनी सारी जायदाद वादीगण के पक्ष में लिख दी है एवं उसकी नोटेरी पब्लिक से तस्दीक भी कराई है । प्रतिवादी देवराम का मौजा पाडवा में अपने गोदनशीनी पिता की जमीन खाता संख्या 471/425 में है जिसका विवरण वादपत्र की कलम संख्या 7 में वर्णित है । यह कि इस सबके बावजूद भी प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम मौजा सामलिया की आराजीयात में चला आ रहा है जिससे उसका नाम सामलिया की आराजीयात में से हटवाया जाना एवं वादीगण को ही तन्हारूप से खातेदार काश्तकार के रूप में रखा जाना न्याय संगत है।

वाद के अन्त में वादीगण द्वारा मोज सामलिया स्थित वादीगण के कब्जे एंव काश्त एवं स्वामित्व की आराजीयात जो कि वादपत्र में वर्णित कलम संख्या 2 एवं 4 में अंकित व दर्शित है उस पर से प्रतिवादी नंबर 1 का नाम हटाया जाकर तन्हा रूप से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार इन्द्राज दुरूस्त करने, प्रतिवादी नम्बर 1 को पाबन्द किया जाने कि वाद वर्णित कलम संख्या 2 व 4 में वर्णित आराजीयात पर अवरोध उत्पन्न नही करे, अतिकमण नहीं करे, वादीगण के खातेदारी हक व अधिकारों पर दखलंदाजी नही करे, ऐसा कृत्य नही करे जिससे कि वादीगण के अधिकारों पर आघात पहूँचे स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण की ओर से बाद पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी मोजा सामलिया 2071,गिरदावरी ,जमाबन्दी मोजा सामलिया संवत 2069,नकल जमाबन्दी खाता संख्या 68/59,बही दस्तावेज व दस्तावेज वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से दिनांक 16.4.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील वादी की एक पक्षीय साक्ष्य प्रारम्भ की गई । वकील वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी मौजा सामलिया खाता संख्या 441/380 मौजा सासलिया प्रदर्श – 1 ए ,खसरा गिरदावरी मोजा सामलिया प्रदर्श– ए 2, जमाबन्दी मौजा पाडवा खाता संख्या 471/425 प्रदर्श – ए 3 ,जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 69 मौजा सासलिया प्रदर्श – ए 4,खाता संख्या 68 प्रदर्श ए 5, गोदनामा बही

Scanned by CamScanner

प्रदर्श 8 ए ,वसीयतनामा प्रदर्श 9 ए की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि वादपत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित खाता संख्या 69/60,68/59,69 की भूमि मोजा सामलिया पर वादीगण का ही कब्जा एवं स्वामित्व है परन्तु राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवादी देवराम का नाम जोड दिया गया है । वादीगण के पिता कुबेर पुत्र अमरजी बलाई ने दिनांक 15.12.2007 को एक दस्तावेज वसीयतनामा नोन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पर तेहरीर एंव तकमील करते हुए अपनी सारी जायदाद वादीगण के पक्ष में लिख दी है एवं उसकी नोटेरी पब्लिक से तस्दीक भी कराई है । प्रतिवादी देवराम का मौजा पाडवा में अपने गोदनशीनी पिता की जमीन खाता संख्या 471/425 में है जिसका विवरण वादपत्र की कलम संख्या 7 में वर्णित है । यह कि इस सबके बावजूद भी प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम मौजा सामलिया की आराजीयात में चला आ रहा है जिससे उसका नाम सामलिया की आराजीयात में से हटवाया जाना एवं वादीगण को ही तन्हारूप से खातेदार काश्तकार के रूप में रखा जाना न्याय संगत होना बताते हुए अपनी बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– 1ए जमाबन्दी मोजा सामलिया खाता संख्या 441 की नकल है जिसमें खातेदार के स्थान पर रामशंकर मु0 पेमजी 2/रु देवराम नानूलाल कान्तिलाल कमला धूली रेवा निर्मला पिता कुबेर 1/3 अंकित है ।प्रदर्श– 3ए जमाबन्दी मोजा पाडवा खाता संख्या 471है जिसमें खातेदार के स्थान पर देवराम पिता कुबेर बलाई अंकित है । प्रदर्श 8 ए बही की लिखावट की छाया प्रति एंव प्रदर्श 9 ए दस्तावेज वसीयत नामा है जिसमें वसीयतकर्ता कुबेर पिता अमरजी निवासी सामलिया के द्वारा श्री नानूराम कान्तिलाल पिता कुबेर वो कमला धूली रेवा निर्मला पुत्री कुबेर निवासीयान सामलिया को ग्राम सामलिया के खाता संख्या 52/53 संवत 2062–65 के कुल खेत नंग 5 रकबा 7बीघा 17 बिस्वा के अलावा कृषि भूमि व मकान जो ग्राम सामलिया में स्थित है को वसीयत की जाने का उल्लेख है । वकील वादी ने अपनी बहस में प्रतिवादी नम्बर 1देवराम पाडवा में श्री कचरू पिता पेमजी बलाई के यहां पर गोद पुत्र की हैसीयत से रहना एवं गोदनशीनी पिता की सारी सम्पत्ति पर काबीज होकर स्वामित्व होना ,पाडवा में चुनाव परिचय पत्र बना हुआ होना तथा इसकी तस्दीक ग्राम पंचायत पाडवा द्वारा भी की जाने से देवराम का नाम मौजा सामलिया की आराजीयात से हटवाया जाना एवं वादीगण को तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में रखा जाना न्याय संगत होना बताया है । वादी की ओर से गवाह कान्तिलाल पी0डब्लू01 एवं गवाह चानूलाल पी0डब्लू0 2 के बयानात में भी इसी तथ्य को दोहराया गया है । वकील वादी द्वारा वाद पत्र एंव अपनी बहस में प्रतिवादी नम्बर 1देवराम पाडवा में श्री कचरू पिता पेमजी बलाई के यहां पर गोद पुत्र की हैसीयत से रहना एवं गोदनशीनी पिता की सारी सम्पत्ति पर काबीज होकर स्वामित्व होना ,पाडवा में चुनाव परिचय पत्र बना हुआ होना तथा इसकी तस्दीक ग्राम पंचायत पाडवा द्वारा भी की जाने से

Scanned by CamScanner

देवराम का नाम मौजा सामलिया की आराजीयात से हटवाया जाना एवं वादीगण को तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में रखा जाना बताया है । गवाह पीडब्लू–1 कान्तिलाल एवं पीडब्लू–2 नानूलाल बुनकर द्वारा भी अपने बयान में प्रतिवादी देवराम ,कचरू पिता पेमजी के यहां गोद जाना बताया है ।

पत्रावली एंव दस्तावेज प्रदर्श 8 ए एवं 9 ए का अवलोकन किया गया ।पत्रावली में उपलब्ध बही प्रदर्श 8 ए में कही पर भी कचरू पिता पेमजी बलाई का उल्लेख नही है । इस बही प्रदर्श 8 ए में कचरू पिता पेमजी बलाई के हस्ताक्षर अथवा अंगूष्ठ निशानी भी नहीं है। इसी प्रकार वसीयत प्रदर्श 9 ए में भी वसीयतकर्ता के स्थान पर कुबेर पिता पेमजी बलाई अंकित है ।

उपरोक्त विवेचन से श्री देवराम प्रतिवादी गांव पाडवा में श्रीकचरू पिता पेमजी बलाई निवासी पाडवा के वहां श्री देवराम प्रतिवादी का गोद जाना प्रमाणित नहीं होता है । वकील वादी वाद में अंकित तथ्यों को दस्तावेज से प्रमाणित करने में असमर्थ रहे है ।

अतः वाद वादीगण वकील वादी द्वारा दस्तावेजों से प्रमाणित करने में असमर्थ होने से वाद वादी खारीज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिकी पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

( राजीव द्विवेदी )
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

# डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सागवाडा

बईजलास श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

श्री नानूलाल पिता कुबेर बलाई बनाम श्री देवराम मुतबन्ना कचरू बलाई

वगैरा सामलिया निवासी पाडवा

*दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ,ईन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा125 सपठीतधारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट*

मुकद्मा नंबर 396/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 मिनजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी ,वकील वादी द्वारा दस्तावेजों से प्रमाणित करने में असमर्थ होने से वाद वादी खारीज किया जाता है ।

। नीज.....मुबलिग..... बाबत .....

खर्चा इस मुकद्में के मय सूद व शहर .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख

वसूलयाबी तक ..... का अदा करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25 मास 02 सन् 2019 को जारी की गई ।

(राजीव द्विवेदी)

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा

| मुद्दई | रूपया | पै0 | मुद्दायला | रूपया | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत ईजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत ईजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा

Scanned by CamScanner